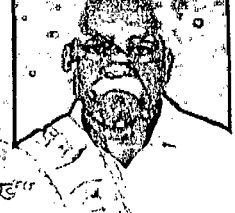




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर (जमीनबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा-विलेख)

नियमित आधार पर आवंटित दर जो 25% की दर पर आवंटित भूखण्ड हूँ।

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 22.07.2008 को आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या 3079

संख्या 2062 को राज्यपाल राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी

ओर प्राधिकारी साया जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है।

इसमें इसके पश्चात् पट्टा कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बात में जहाँ कहीं प्रांग से वसा अर्थ निकले, उनके उस निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुक्तकाल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।



इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टा द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा

जमीन का वह नमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) का निवृत्त और आवंट

जो साया जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। योजना में स्थित स्थान

संख्या 1013.62 और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ सलगन साइट

प्लान में अधिक पूर्ण रूप से वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व

सम्बन्धी व्यक्तों सहित किन्तु निम्नलिखित नमाम व प्रत्येक आपसों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टा अपन

उपयोग, उपभोग और इसोभाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड जहाँ जमाबन्दी (लॉज होल्ड) पर आवंटित किया गया है। लॉज की अवधि, 99 वर्ष होगी।

2. पट्टा द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर

नियमन दर 22.50 रुपये प्रति वर्ग गज में कुल नियमन राशि 22.50 x 100 = 2250 रुपये देय होती है जो

चालान में 22.50 दिनांक 20/06/08 से जमा है इसका 2.5% प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबन्दी रुपये

देय है। राजस्व संचार के आदेश क्रमांक एफ-9/15 व.ड. 1/3/2001 दिनांक 15.1.2002 से एक वर्षी लॉज

राशि 1.12.763 रुपये होती है जो सालाना 180.80 दिनांक 20/06/08 से जमा है।

3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न

उपयोग किसी भी भाँति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99

क्रमांक पं. 5 (3) न.वि.वि. 1/3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही

किरमित किया गया है। तथा नियमन उपयोग निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कारोबारी की जायेगी। एवं

पर वेक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे। परन्तु यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण

में भवन के नक्शे को नियमानुसार जारी करवाकर सौंपा होगा।

4. इस लॉज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड के सरकार/जीवन बीमा निगम/गिड्यूल्ड बैंक/सरकार कणदात्री संस्था/

एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत कणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी

पत्राज्ञा सकेगा।

अब सजिस्ट्रार में दर्ज होगा।

पट्टा उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले

पद में निर्दिष्ट आशय के अमंगल है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के जो एतदर्थ नियुक्त किया

गया हो, न तो उपयोग में लायेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति हो देगा। पट्टा द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तों एवं

वी राज. इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरेबन लैंड्स क्लेम, 1974 के) अन्तर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की

जायेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त

भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जायेगा।

नोट - इस भावगुड की

पंजीकृत मूल्य गणि रु. 21,531/10/-

संख्या

जहासियत पत्र इसमें साथ लगाये जाते हैं।

स्टाम्प रुपये 21,200/250 No. 1

दिये हैं।

इसके साक्षी के रूप में इस पत्रकार ने इसका वाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर

नोट

राज्य सरकार का पुरातन (वि.वि.) 26.05.2000 के तहत आदेशों पर आश्रित दर को 25% तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार की ओर से

आज सन 2008 माह 6 के 28

श्री सुरेश्वरी श्री जी सक्षम

अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

एवं

पट्टेदार द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर में निम्न गांधी की उपस्थिति में हस्ताक्षर

श्री राजेश्वरी श्री जी सक्षम

पट्टेदार के हस्ताक्षर

साक्षी -

1. नाम मोहन सलीम

पिता/पति का नाम मोहन सलीम

व्यवसाय पाइपट सोलर

निवास स्थान हनुमान नगर (X) जयपुर/

मो. सलीम

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम राम मिश्र

पिता/पति का नाम बबू श्री राम

व्यवसाय पाइपट सोलर

निवास स्थान काबिलान रोड जयपुर

राम मिश्र

साक्षी के हस्ताक्षर

क्रमांक 1571

26 JUN 2008

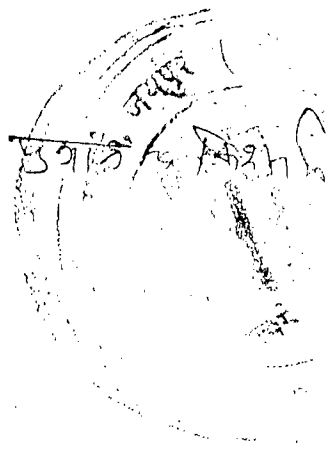
क्रेता का नाम

पति या पत्नी

पता

सहचर

श्री सावरानी, लाल सिंह, हाऊस नं 117 व 118, सान्तोश नगर, जयपुर



* जगदीश शर्मा
भा० स्टाम्प विक्रेता
J.B.A परिसर, जयपुर

आज दिनांक 8 माह जुलाई सन् 2008 को 12:32 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SAWARANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LATE KISHAN SINGH
उम्र 70 वर्ष, जाति RAJPUT व्यवसाय HOUSE WIFE
निवासी 117 SANTOSH NAGAR AJMER ROAD, JAIPUR null null
ने मेरे सम्मुख दरतावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

सावरानी

दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता
(2008397013997)

सबपंजीयक, जयपुर
JAIPUR-V
पंचम

(E-case deed for local bodies (Patta))

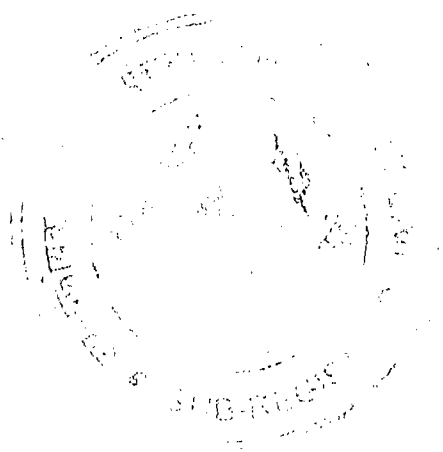
रसीद नं०	[2008397014362]
दिनांक	[8-7-2008]
पंजीयन शुल्क रु०	25000
प्रतिनिधि शुल्क रु०	0
पट्टांकन शुल्क रु०	200
अन्य शुल्क रु०	0
कमी स्टाम्प शुल्क रु०	0
कुल योग रु०	25200

(2008397013997)

उपपंजीयक, JAIPUR-V

(E-case deed for local bodies (Patta))

जयपुर
पंचम



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

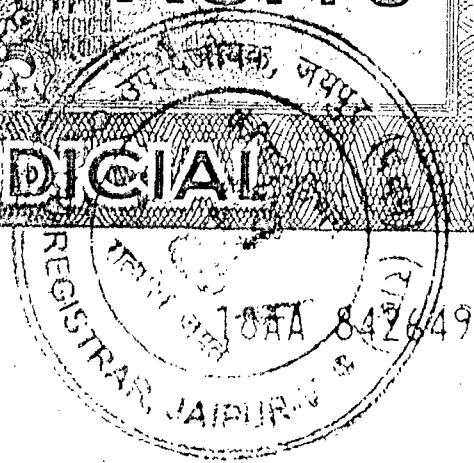
रु. 10

Rs. 10

INDIA

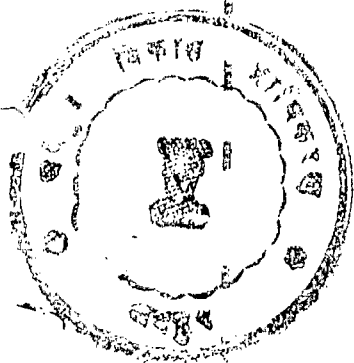
INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN



श्री. मु. अ. वि. दी. श्री. म. न. न. की योजना
राजस्थान राज्य के पास के भूखण्ड में 117
है. 10/19. 67 में मिला. 10/19
संक्षिप्त रूप में 10/19, 20, 250 + 10 +
के पास राजस्थान.

उपस्थित
जयपुर



रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

26 JUN 2008

संख्या 1572
 पता का नाम
 पिता या पति
 निवासी
 उक्त श्री/श्रीमती/शुश्री (Executant)
 1-SAWARANI / LATE KISHAN SINGH
 उम्र -70 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -HOUSE WIFE
 निवासी - 117 SANTOSH NAGAR AJMER ROAD, JAIPUR

Signature

Photo

Thumb

जगदीश कोली

2-LAL SINGH / LATE KISHAN SINGH
 उम्र -49 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
 निवासी - 117 SANTOSH NAGAR AJMER ROAD, JAIPUR JAIPUR

3-HAKIM SINGH / LATE KISHAN SINGH
 उम्र -46 वर्ष जाति - RAJPUT, व्यवसाय -BUSINESS
 निवासी - 117 SANTOSH NAGAR AJMER ROAD, JAIPUR JAIPUR

(And Claimant)

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रु० 2753110/- पूर्व में/मेरेसमक्ष मे से रु० 2753110/- पूर्व में की समझ प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता को पहचान

1- श्री/श्रीमती/शुश्री ANIL MEHTA
 पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री LATE FATEH LAL MEHTA
 उम्र -46 वर्ष जाति-MEHTA व्यवसाय -BUSINESS
 निवासी 7 MADRAM COLONY CIVIL LINES JAIPUR..

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2008397013997)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप. पंजीयक, JAIPUR सब रजिस्ट्रार, जयपुर

पंचम

आज दिनांक 8/7/2008 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 209

में पृष्ठ संख्या 54 क्रम संख्या 200834/00920742

पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 834

के पृष्ठ संख्या 29 मे 36

पर भरपा किया गया।

(2008397013997)

Lease deed for local bodies (Patta)



श्री. सु. राजा

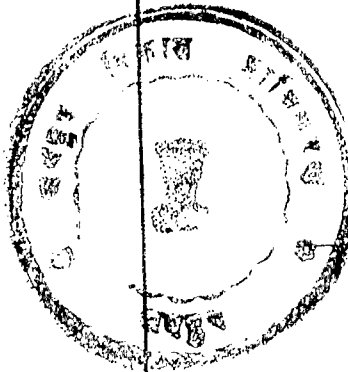
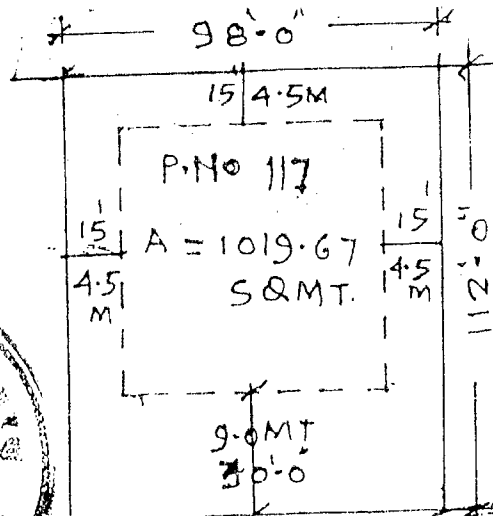
SITE PLAN OF PLOT No. 117 NEAR SANTOSH NAGAR
(AJMER ROAD)

SCHEME K.H. No. 304 VILL. BARODIA TEH. JAIPUR.

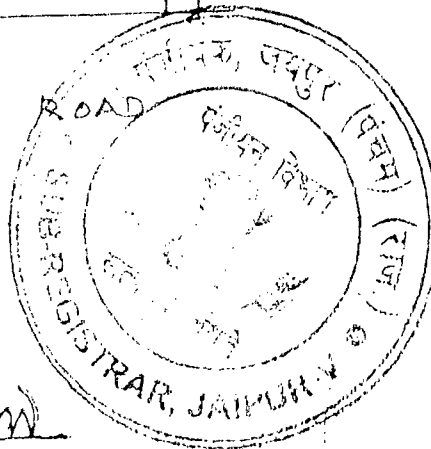
AREA $98' \times 112' 0'' = 1019.67$ SQ.MT.

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER RULE %

SCALE :- $1'' = 50' 0''$



AJMER ROAD



[Signature]
24/6/08
SITE ENGINEER

[Signature]
24/6/08
TOWN PLANNING
ASSISTANT

DY. C. COMMISSIONER

जा. 2

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR